संसदीय चुनावों का बहिष्कार करें!

एक जनवादी, आत्मनिर्भर व शोषण-मुक्त संघीय भारतीय गणतंत्र के निर्माण के लिए नव जनवादी क्रान्ति को सफल करें!

मौजूदा शोषणकारी व्यवस्था के विपरीत प्रस्तावित वैकल्पिक व्यवस्था की एक झलक

द्वितीय विश्वयुद्ध के बाद दुनिया की स्थिति ऐसी न रही कि साम्राज्यवादी देश उपनिवेशों में प्रत्यक्ष औपनिवेशिक शासन चला सकें। तब दुनिया में नव औपनिवेशिक शोषण का दौर शुरू हुआ। 1947 में हमारे देश भारत में अंग्रेजों का प्रत्यक्ष शासन खत्म हुआ। देश को औपचारिक (नकली) आजादी मिली पर एक बहुत बड़ी कीमत पर। धर्म के नाम पर, अंग्रेजों के षडयंत्र के परिणामस्वरूप व देशी दलाल शासकों की मिलीभगत से, अभूतपूर्व खून-खराबे के बाद देश का विभाजन हुआ। भारत के बड़ा पूंजीपति वर्ग व जमीन्दार वर्ग पूरे औपनिवेशिक काल में अंग्रेजों के दलाल मददगार व विश्वस्त सेवक बने रहे व अंग्रेजों के साथ मिलकर भारतीय जनता का शोषण करते रहे। इन्हीं दलाल पूंजीपतियों व जमीन्दारों के हाथों सत्ता का हस्तांतरण हुआ व इन शासक वर्गों की सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस सत्ता में आई। इस तरह भारत एक अर्द्ध-औपनिवेशिक व अर्द्ध-सामंती देश में तब्दील हो गया।

बड़े पूंजीपति व सामन्तों की इस सरकार ने राज्य के विकास के लिए ऐसी नीति अपनायी जिससे साम्राज्यवादी (विदेशी) पूंजी व तकनीक पर देश की निर्भरता बढ़ती गयी। प्रशासन, राजनीति, संस्कृति, न्यायपालिका, सेना आदि में औपनिवेशिक ढांचा व कायदे-कानून बहुत हद तक अक्षुण्ण बने रहे, उनका कोई जनवादीकरण नहीं हुआ। संसद, जिसे भारतीय जनता के प्रतिनिधियों की सभा कहा गया, दरअसल उत्तर-47 भारत के सबसे बड़े झूठों में से एक है।

संसद में लिये गये फैसले बड़े उद्योगपतियों व उनके तरफदार कुछ कैबिनेट मंत्रियों के द्वारा लिये गये फैसले होते हैं। संसद में किसी बिल के पास होने न होने का फैसला संसद के बाहर पैसा व ताकत के खेल से तय होता है।

नेहरू के नेतृत्व में बनी सरकार ने पूंजीपतियों द्वारा बनाये गये 'बाम्बे प्लान' को अपनाते हुए पहले पंचवर्षीय योजना की शुरूआत की। तब मंदी व विश्वयुद्ध से टूट चुके व सोवियत समाजवादी गणराज्य के प्रभाव व विकास से घबराये साम्राज्यवादियों ने कींस का नुस्खा मान राजकीय (सार्वजनिक/सरकारी) पूंजी की भागीदारी अर्थव्यवस्था में शुरू की व एक 'कल्याणकारी' पूंजीवादी राज्यों का ढोंग सामने लाया। तब भारत की अर्थव्यवस्था भी बुरे हाल में थी। ठहरी हुई बाजार व्यवस्था, औद्योगिक विकास की ढांचागत सुविधाओं व उसके लिए पूंजी के अभाव ने शासकों के सामने राजकीय पूंजी की बड़े पैमाने पर जरूरत को सामने लाया। इस प्रकार मिश्रित अर्थव्यवस्था के नाम पर निजी व सार्वजनिक क्षेत्र अस्तित्व में आये जो साम्राज्यवादी बाजार, उनकी पूंजी (कर्ज) व तकनीक के उपर आश्रित थे। सरकारी देख रेख में, पंचवर्षीय योजनाएं अपेक्षाकृत नये साम्राज्यवादपरस्त देशी दलाल पूंजीवाद को मजबूत करती गईं।

'कल्याणकारी राज्य' का दावा करने के बावजूद शिक्षा, चिकित्सा जैसी लोगों की बुनियादी आवश्यकताओं पर खर्च घटते गये। इसके अलावा, आसमान छूती महंगाई, भयंकर बेरोजगारी, बढ़ती मुद्रास्फीति, विशाल विदेशी कर्ज व राजस्व-घाटा, मंत्री-नेता-अफसरों के भ्रष्टाचार-घोटाले, विदेशी बैंकों में छुपाया हुआ हजारों करोड़ का कालेधन, भयंकर महिला उत्पीड़न, विस्थापन के कारण लाखों लोगों की लाचार स्थिति, तंगहाली व भुखमरी इत्यादि ने जनता की जीवन स्थिति को और बदतर एवं दर्दनाक बना दिया है। पिछले 65 वर्षों के अनुभव इस बात की पुष्टि करता है कि इस देश में मुट्ठीभर अमीर और अमीर हुए हैं और विशाल संख्या में गरीब और गरीब हुए हैं। दरअसल, देश में रोजगार, शिक्षा, चिकित्सा, खाद्यान्न व आवास - इन बुनियादी अधिकारों से जनता वंचित है। एक सरकारी समिति का यह निष्कर्ष है कि देश की 77 प्रतिशत आबादी रोजाना 20 रुपए से कम आमदनी पर जीने को मजबूर है। और दूनिया के 25 प्रतिशत भूखे लोग भारत में ही बसै हुए हैं।

हमारी पार्टी मानती है कि समस्याओं की जड़ इस तथाकथित लोकतंत्र के

बुनियाद में है। भारत की जनता ने केन्द्र में व राज्यों में कई सरकारों को बदला। पर फायदा क्या हुआ? वर्तमान तंगहाली व भुखमरी किसी एक सरकार के कारण नहीं बल्कि यह पिछले 65 सालों से शासक वर्गों की विभिन्न सरकारों द्वारा अपनाई गयी नव-उदारवादी नीतियों सहित कुछ अन्य जनविरोधी नीतियों का परिणाम है। हमारी पार्टी मौजूदा व्यवस्था में आमूल परिवर्तन के लिए संघर्षरत है।

चुनाव इस व्यवस्था के बुनियादी आधार अर्द्ध-उपनिवेशवाद व अर्द्ध-सामंतवाद को बदले बिना सरकारों को बदलती है। यह सिर्फ मुखौटा बदलने के बराबर है। यानी चुनाव के जरिए केवल शासकों/सरकारों का रंग बदलता है, शोषणकारी शासन का अन्त नहीं होता है। हम दीर्घकालीन लोकयुद्ध के जरिये भारत के शासकों - दलाल नौकरशाह पूंजीपतियों (बड़े पूंजीपतियों) व जमीन्दारों - व उनके आका साम्राज्यवाद की सत्ता को खत्मकर शोषित-उत्पीड़ित जनता यानी मजदूर, किसान, निम्न पूंजीपति (छोटे दुकानदार, छोटे व्यापारी, साधारण सरकारी व प्राइवेट कर्मचारी, आदि) व राष्ट्रीय बुर्जुआ (छोटे व मंझोले उद्योगपति) के संयुक्त मोर्चा की सरकार बनाना चाहते हैं।

प्रसंगवश हम बता दें कि हम किसी भी आतंकवादी कार्रवाई, जिनमें बेकसूर लोगों की हत्या की जाती है, के हम सख्त खिलाफ हैं। हम जन-दिशा व वर्ग-दिशा पर सख्ती से अमल करते हैं व शोषित-पीड़ित जनता को गोलबंद करके ही क्रान्तिकारी परिवर्तन लाना चाहते हैं। पर, ऐसी सरकार केवल नव जनवादी क्रान्ति सफल होने के बाद ही बन सकती है। यह नई जनवादी सत्ता राजनीति व अर्थव्यवस्था का आधार ही बदल देगी व एक आत्मनिर्भर, जनवादी व स्वतंत्र भारत का निर्माण करेगी व उसे मजबूत करेगी। ऐसा भारत सचमुच धर्मनिरपेक्ष व विभिन्न राष्ट्रीयताओं का स्वैच्छिक संघ होगा। **भारत को ऐसा बनाने के लिए क्रान्तिकारी संयुक्त मोर्चे की सरकार के नेतृत्व में नव जनवादी सत्ता विभिन्न क्षेत्रों में जो कदम उठायेगी उसकी एक संक्षिप्त झलक हम प्रस्तुत कर रहे हैं।**

एक नये संविधान की आवश्यकता

सर्वप्रथम नई व्यवस्था के लिए नये संविधान का होना जरूरी है। दरअसल वर्तमान भारतीय संविधान ही वह आधार प्रदान करता है जो न सिर्फ पूंजी के

असीम भंडारण के जरिए मुट्ठीभर अमीरों को और अमीर बनाता है, बल्कि निर्धन या गरीबों को और गरीब बनाने के सिलसिले को बरकरार रखता है। और साथ ही, यही भारतीय समाज के अन्य अन्तरविरोधों को भी जन्म देता है और जिंदा रखता है। जैसे - खेती में अर्द्ध-सामंती सम्बंध, उद्योग में दलाल बड़ी पूंजी का प्रभुत्व, भारतीय अर्थव्यवस्था का अर्द्ध-औपनिवेशिक चरित्र, केन्द्र व राज्यों के बीच अन्तरविरोध, एक पाखंडपूर्ण संघीय गणराज्य, राष्ट्रीयताओं का उत्पीड़न, साम्प्रदायिक व जातीय उत्पीड़न, महिलाओं के साथ पितृसत्तामूलक आचरण सहित विभिन्न भेदभाव और उन पर हो रहे भयंकर उत्पीड़न, बाल-शोषण व बाल उत्पीड़न आदि। इन तमाम अन्तरविरोधों को हल करने हेतु एक संवैधानिक आधार अनिवार्य है। इसलिए एक नया संविध ान लिखे जाने की आवश्यकता है। नया राज्य नये संविधान पर आधारित होगा।

एक मुक्त कृषि क्षेत्र

यह कृषि में शोषणमूलक उत्पादन-सम्बन्धों को खत्म करेगा व साम्राज्यवाद व बहुराष्ट्रीय कंपनियों पर कृषि की निर्भरता खत्म कर कृषि का वास्तविक विकास करेगा। अभी देश की कुल खेती योग्य जमीन का 30 प्रतिशत जमीन्दारों के कब्जे में है तथा कुल किसानों में से 65 प्रतिशत भूमिहीन गरीब किसान हैं जिनकी जोत एक हेक्टेयर से भी कम है। नव जनवादी राज्य जमीन्दारों व मठाधीशों की सारी जमीन जब्त करेगा व 'जोतने वालों को जमीन' के आधार पर भूमिहीन व गरीब किसानों और खेतीहर मजदूरों के बीच अतिरिक्त जमीन का बंटवारा करेगा। यह भूमिहीन व गरीब किसानों के सारे सरकारी (बैंक) व साहूकारी कर्ज को रद्द कर देगा व व्यापार धंधों को अपने नियंत्रण में लायेगा। यह सहकारी खेती को प्रोत्साहन देगा। जनता का श्रम व पूंजी ही इस सहकारिता के मुख्य संघटक होंगे जबकि इसमें कुंजीवत पहलू श्रम है। उपभोक्ता व ऋणदाता सहकारी समितियों को प्रोत्साहन दिया जायेगा। यह पूंजीवादी कृषकों के बड़े फार्म, कारपोरेट सेक्टरर्स के फार्म, फार्म हाउस व बागान आदि की सारी जमीन जब्त कर उन पर सामूहिक खेती कराये जाने को प्राथमिकता देगा।

सिंचाई व बिजली उत्पादन के लिए यह बड़ी नदी घाटी परियोजनाओं की बजाय जमीन की बनावट के अनुसार छोटी-छोटी परियोजनाओं को यानी

चैकडैम एवं छोट सिंचाई प्रोजेक्ट को प्रश्रय देगा। ताकि पर्यावरण का नुकसान व विस्थापन से बचा जा सके। किसी बड़ी परियोजना को अनिवार्यत: स्थानीय जनता की सहमति से व पर्यावरण का ख्याल रखकर ही बनाया जायेगा।

बाजार के उतार-चढ़ावों व कर्ज के बोझ से यह किसानों को आजाद करेगा। यह विश्व व्यापार संगठन से बाहर आयेगा व हर किसान विरोधी नीति को खारिज कर देगा। खेती में बहुराष्ट्रीय कंपनियों की शोषणकारी घुसपैठ को बंद किया जायेगा। खेती में नपुंसक संकर बीजों व बंजर बनाने वाले कृषि आगतों को प्रतिबंधित किया जायेगा व मिट्टी व जलवायु को ध्यान मे रखकर देशी बीजों व खादों के प्रयोग एवं उसके अनुसंधान को प्रोत्साहित किया जायेगा। यह कृषि में जरूरी चीजों में सहकारी समितियों व छोटे किसानों को सब्सिडी देगा। यह सबसे पहले खाद्यान के मामले में देश को आत्मनिर्भर बनायेगा व सब्सिडी देकर सस्ते दामों पर खाद्यान के बंटवारे को सुनिश्चित करेगा।

यह सरकारी योजनाओं में खेती पर खर्च को बढ़ायेगा व इसे प्राथमिकता देगा।

एक आत्मनिर्भर व स्वतंत्र उद्योग क्षेत्र

नव जनवादी राज्य उद्योग-धंधों को साम्राज्यवादी नियंत्रण से पूरी तरह मुक्त कर देगा व इसे आत्मनिर्भर बनायेगा। यह साम्राज्यवादी व दलाल बड़े पूंजीपतिों की तमाम औद्योगिक व बैंकिंग पूंजी, सटोरियों की पूंजी, उनकी जमीन, भवन, बागान आदि, बड़े नौकरशाहों की अकूत संपत्ति व बैंकों में उनकी जमा राशि को जब्त करेगा। यह बड़े पूंजीपतियों, विदेशी पूंजीपतियों के तमाम फैक्टरियों, बैंकों, इन्श्यूरेंश कंपनियों, अन्य वित्तीय निगमों, आर.डी. विभागों आदि का राष्ट्रीयकरण कर देगा। यह बड़े उद्योगों में दलाल नौकरशाह पूंजीपतियों और विदेशी पूंजीपतियों की पूंजी के अस्तित्व को खत्म कर देगा। यह शासक वर्गों द्वारा किसी भी साम्राज्यवादी वित्तीय संस्था या देश से लिये गये कर्जों को (जो दरअसल उन्हें मोटा करने में खर्च हुए हैं) को रद्द कर देगा। यह आईएमएफ, विश्व बैंक आदि साम्राज्यवादी संस्थानों से किये गये उन समझोतों को भी रद्द कर देगा जो हमारे उद्योग को निर्भरशील व परजीवी बनाते हैं। यह निजीकरण व उदारीकरण की साम्राज्यवादपरस्त नीतियों को

खारिज कर देगा। यह आमतौर पर सरकारी पूंजी को मजबूत करते हुए शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों में पूंजी के संचयन पर एक सीलिंग लगायेगा।

कृषि को आधार बनाकर ही उद्योगों की स्थापना व विकास होगा। यह श्रम आधारित उद्योगों को बढ़ावा देगा। ग्रामीण और शहरी इलाकों के बीच मौजूद असंतुलन को दूर करेगा। ग्रामीण क्षेत्रों का समुचित विकास कर, वहां पर उद्योग-धंधों का विकास कर शहरों में बढ़ रहे आबादी के दबाव को कम करेगा। ग्रामीण इलाकों से काम-धंधे के लिए शहरी क्षेत्रों में पलायन करने की स्थिति को धीरे-धीरे समाप्त करेगा।

आज संगठित क्षेत्र में मात्र 7.26 प्रतिशत लोग कार्यरत हैं। यह उद्योगों में रोजगार को प्राथमिकता देगा, न कि मुनाफे को। यह मजदूरों के सन्दर्भ में कहीं भी ठेका प्रथा को समाप्त करेगा। यह महिला व पुरुष के लिये समान काम के लिये समान मजदूरी दर कायम करेगा। यह बाल मजदूरी को पूरी तरह खत्म कर देगा।

नव जनवादी राज्य तमाम सेज (विशेष आर्थिक जोन) को रद्द कर देगा।

नवगठित सरकार छोटे व मंझोले उद्योगों को संरक्षण देगी। राष्ट्रीय पूंजीपति वर्ग के उद्योग-धंधों को सीमित व नियंत्रित करेगी तथा उद्योग एवं व्यापार वाणिज्य के चहुंमुखी विकास के लिए सहकारिता आंदोलन को भरपूर प्रोत्साहन दिया जायेगा।

एक वास्तविक स्वैच्छिक संघ का निर्माण

नव जनवादी राज्य बंदूक के बल पर किसी भी राष्ट्रीयता को भारतीय संघ में रखने की हिमायत नहीं करेगा जैसा कि अभी किया जा रहा है। कश्मीर को 5 लाख भारतीय फौज ने लौह बूटों से रौंद रखा है। मणिपुर, नगालैंड व असम समेत तमाम उत्तर-पूर्वी प्रांतों को वस्तुतः सैनिक राज्य में तब्दील कर दिया गया है। नवगठित राज्य तमाम राष्ट्रीयताओं के अलग होने के अधिकार सहित आत्मनिर्णय के अधिकार को मान्यता देकर तथा उन सभी को समान मर्यादा देकर समानता के आधार पर देश को एकताबद्ध करेगा। जो राष्ट्रीयता भारतीय संघ में रहना चाहेगी वह रक्षा, विदेश नीति, मुद्रा का चलन आदि पर छोड़ तमाम आर्थिक, राजनीतिक व सांस्कृतिक मामलों में स्वायत्त रहेगी। इस तरह जनवाद व आपसी सहमति पर आधारित होकर संघीय गणराज्यों के

स्वैच्छिक संघ की स्थापना यह राज्य करेगा। यह राज्य सभी राष्ट्रीयताओं के भाषाओं को समान दर्जा देगा। यह बिना लिपि की भाषाओं के विकास में सहायता करेगा। राष्ट्र भाषा या सम्पर्क भाषा के नाम पर या किसी भी रूप में यह राज्य दूसरी राष्ट्रीयताओं पर किसी भी भाषा को नहीं थोपेगा।

एक वास्तविक धर्मनिरपेक्ष राज्य का निर्माण

धर्मनिरपेक्ष होने की संवैधानिक घोषणा के बावजूद भारतीय सत्ता 'हिन्दी, हिन्दू, हिन्दुस्तान' की अंधराष्ट्रवादी विचारधारा के साथ है। नव जनवादी राज्य किसी भी किस्म की सांप्रदायिकता, खासकर बहुमत की साांप्रदायिकता व राज्य के सांप्रदायिकरण के खिलाफ है। यह धार्मिक अल्पसंख्यकों पर अत्याचार व धर्म-आधारित सामाजिक असमानताओं को समाप्त करेगा। यह उनके सामाजिक-आर्थिक विकास के लिये विशेष नीतियों को लागू करेगा। यह धार्मिक मामलों में राज्य की दखलंदाजी समाप्त करेगा। साथ ही, यह राजनीतिक उद्देश्यों के लिए धर्म के इस्तेमाल पर रोक लगायेगा। यह धर्म को मानने और न मानने की व्यक्तिगत आजादी की गारंटी करेगा।

एक जनवादी संस्कृति का निर्माण

भारतीय समाज हजारों सालों से जातियों में विभाजित ब्राह्मणवादी सामाजिक रीति व अंध कुसंस्कारों पर आधारित एक समाज रहा है। ब्राह्मणवाद यहां के सामंतवाद की सांस्कृतिक रीढ़ है। नवगठित राज्य घृणास्पद जातिप्रथा, जहां जन्म के आधार पर सामाजिक तौर पर कोई ऊंच-नीच होता है, छुआछूत और भेदभाव को पूर्ण रूप से खत्म करने की ओर आगे बढ़ेगा और यह तब तक दलितों व सामाजिक रूप से सभी उत्पीड़ित जातियों की उन्नति के लिए आरक्षण सहित विशेष सुविधाओं को सुनिश्चित करेगा। यह जातीय भेदभाव करने वालों के साथ कड़ाई से निबटेगा।

यह आदिवासियों के साथ किये जा रहे भेदभाव को खत्म करेगा। यह जल, जंगल व जमीन पर आदिवासियों-मूलवासियों के सामूहिक स्वामित्व को मान्यता देगा व उसका जन हित में इस्तेमाल हो, इसके लिए उन समुदायों को प्रोत्साहित करेगा। यह सभी आदिवासी समुदायों के सम्पूर्ण विकास के लिए उन्हें विभिन्न स्वायत्तताएं सुनिश्चित करेगा और तदनुसार विशेष नीतियां लागू करेगा।

यह क्षरणशील सामंती, औपनिवेशिक व साम्राज्यवादी संस्कृति के स्थान पर जनवादी व प्रगतिशील संस्कृति को स्थापित करेगा।

एक सही लोकतांत्रिक राज्य व स्वस्थ्य केन्द्र-राज्य संबंध

यह नया राज्य सभी स्तरों पर जनता के जनवादी संविधान के अनुसार और उसके आधार पर क्रान्तिकारी जन समितियों और जन सरकारी परिषदों के द्वारा जनता की राजनीतिक सत्ता को स्थापित करेगा। धूर्त प्रतिक्रियावादियों को छोड़कर प्रत्येक नागरिक को, जिसकी उम्र 18 वर्ष पूरी हो चुकी है, सभी स्तरों पर चुनने व चुने जाने का अधिकार होगा। निर्वाचित प्रतिनिधियों को वापस बुलाने का अधिकार होगा। यह प्रतिनिधि-सभाओं को गप्पबाजी का अड्डा व दिखावे का दांत नहीं, सही कामकाजी सत्ता केन्द्र के रूप में विकसित करेगा। यह भारत की राजनीति, शासन व संस्कृति में विद्यमान सभी औपनिवेशिक ढांचों, कानूनों व प्रभावों को खत्म कर देगा।

सभी लोगों के लिए अभिव्यक्ति की आजादी (बोलने, लिखने व प्रेस की आजादी) सहित इकट्ठा होने, संगठित होने और हड़ताल व प्रदर्शन करने के अधिकारों जैसे जनवादी अधिकारों को यह राज्य सुनिश्चित करेगा। यह राजसत्ता द्वारा हर दिन के शासन कार्यों के संचालन पर जनता के हिस्सा लेने और राजसत्ता पर जनता के नियंत्रण के अधिकार को सुनिश्चित करेगा तथा इस अधिकार को घटाने की हर कोशिश को रोकेगा।

यह केन्द्र व राज्यों के बीच मौजूद सभी असमान रिश्तों को खत्म करेगा। यह विभिन्न कमीशनों के सकारात्मक सुझावों के आधार पर केन्द्र व राज्यों के बीच लोकतांत्रिक महौल को कायम कर राज्यों को यथासंभव अधिकार देते हुए उन्हें आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास करेगा व केन्द्र व राज्यों के बीच मौजूदा मालिक-सेवक के रिश्ते को खत्म करेगा।

यह पिछड़े क्षेत्रों के विकास के लिए विशेष प्रयासों के जरिये क्षेत्रीय असमानताओं को खत्म करने की ओर आगे बढ़ेगा। यह प्रांतों के बीच नदी जल बंटवारा, सीमा विवाद जैसे मुद्दों को आम सहमति से हल करेगा।

महिलाओं को समान अधिकार

यह महिलाओं के खिलाफ सभी प्रकार के भेदभाव को खत्म करने की

दिशा में आगे बढ़ेगा। यह पुरुष-प्रभुत्व तथा पितृसत्ता को समाप्त करने के लिए संघर्ष करेगा। यह जमीन सहित सम्पति पर उनके समान अधिकार की भी गारंटी करेगा। यह सती प्रथा, बाल विवाह, दहेज प्रथा, लिंगभेद आदि महिला विरोधी कुप्रथाओं को प्रतिबन्धित करेगा व इन कार्यों में लिप्त पाये गये दोषियों को सजा देगा। यह उपभोक्तावाद व महिलाओं को माल के रूप में इस्तेमाल करने वाली हर साम्राज्यवादी-पूंजीवादी प्रथा जैसे कि अश्लील साहित्य, नंगे विज्ञापन, सौन्दर्य प्रतियोगिता आदि को प्रतिबंधित करेगा। यह राज्य वेश्यावृत्ति में लिप्त महिलाओं का पुनर्वास करेगा और उन्हें सामाजिक मान्यता दिलवायेगा। यह महिलाओं को घरेलू कामकाज के जेल से मुक्त करायेगा व सामाजिक उत्पादन व अन्य गतिविधियों में उनकी भागीदारी को सुनिश्चित करेगा।

एक वास्तविक कल्याणकारी राज्य

यह रोजगार, शिक्षा व चिकित्सा के अधिकारों को बुनियादी अधिकार के रूप में सुनिश्चित करेगा व बेरोजगारी को खत्म करने की ओर आगे बढ़ेगा। यह अभिजात्य केन्द्रित व देशी-विदेशी बड़ी पूंजी की सेवा करने के उद्देश्य से बनायी गयी शिक्षण पद्धति को खत्म कर एक जनवादी, सर्वसुलभ, देशज हितों व विशेषताओं को ध्यान में रखने वाली शिक्षण पद्धति को विकसित करेगा जो शिक्षा को उत्पादन से जोड़ेगा। यह राज्य बेकारी भत्ता और सामाजिक बीमा लागू करेगा तथा लोगों के लिए बेहतर जीवन-यापन की स्थिति सुनिश्चित करेगा।

यह शारीरिक रूप से विकलांगों, मानसिक रूप से अक्षम व विकलांगों, बुजुर्गों व अनाथों तथा अपंगता से ग्रस्त अन्यान्य लोगों को उपयुक्त आर्थिक और सामाजिक सुरक्षा तथा एक स्वस्थ्य सामाजिक-सांस्कृतिक वातावरण मुहैय्या करायेगा।

यह सभी लोगों के लिए खासकर मजदूरों, किसानों व अन्यान्य मेहनतकश जनता के लिए उत्तम स्वास्थ्य व मुफ्त चिकित्सा की सुनिश्चितता प्रदान करने वाली एक जनमुखी चिकित्सा प्रणाली को लागू करेगा। देश का समूचा स्वास्थ्य क्षेत्र जन सरकार के अधीन रहेगा। चिकित्सकों का अस्पताल में जाना अनिवार्य बनाया जायेगा।

यह पेयजल, बिजली व यातायात, संचार व अन्य जनोपयोगी क्षेत्र में मुनाफे

पर आधारित निजी व्यवस्था खत्म करेगा व तमाम क्षेत्रों को सरकारी दायरे में लायेगा। यह मानसिक व शारीरिक श्रम के बीच दूरी को क्रमशः घटाने का प्रयास करेगा। यह तमाम भारी करों को समाप्त करेगा और मौजूदा कर-प्रणाली को रद्द कर देगा और एक सरल व प्रगतिशील कर-प्रणाली लागू करेगा।

जनपक्षीय न्याय प्रणाली

यह एक जनपक्षीय, प्रगतिशील और जनवादी दृष्टिकोण अपनाते हुए सभी को सुधारने के लिए यथोचित न्याय सुनिश्चित करने वाली न्याय प्रणाली व न्याय व्यवस्था को लागू करेगा। इस दिशा में यह मंहगी न्याय प्रणाली को सस्ता व जनसुलभ बनायेगा।

पर्यावरण व विस्थापन

मुनाफे की होड़ में दुनिया भर के पूंजीपतियों, खासकर अमरीका व बाकी साम्राज्यवादी देशों के पूंजीपतियों ने पर्यावरण का अकथनीय नुकसान किया है; इतना कि पृथ्वी के अस्तित्व पर ही संकट खड़ा हो गया है। यह राज्य दुनिया के अन्य समान विचार वाले देशों के साथ मिलकर साम्राज्यवादी देशों पर प्रदूषण घटाने व इसके लिए लागत देने हेतु दबाव बनायेगा। यह बड़ी नदी घाटी परियोजनाओं, जंगल की कटाई, अन्य पर्यावरण विरोधी प्रोजेक्टों को हतोत्साहित करेगा व जरूरत पड़ने से उन्हें प्रतिबंधित करेगा।

भारत में विभिन्न परियोजनाओं में 1947 से अब तक 6 करोड़ लोग विस्थापित हो चुके हैं जिनमें अधिकांश आदिवासी हैं। यह राज्य बिना जनमत संग्रह किये और पर्यावरण को नुकसान पहुंचाते हुए किसी भी स्थान पर विकास प्रोजेक्ट को शुरू नहीं करेगा। जन हित में अपनाई जाने वाली किसी भी प्रोजेक्ट से हुए विस्थापन की स्थिति में सम्पूर्ण पुनर्वास व रोजगार की गारंटी के बाद ही प्रोजेक्ट शुरू किया जायेगा।

एक सशक्त राष्ट्र व जनवादी पड़ोसी

यह साम्राज्यवादियों के साथ मौजूदा प्रतिक्रियावादी और जनविरोधी सरकार द्वारा किये गये सभी असमान, राष्ट्रविरोधी, देश की संप्रभुता को चोट पहुंचाने वाली संधियों को रद्द करेगी। यह राज्य देश की सुरक्षा के लिए जनता को हथियारबंद करेगा।

वर्तमान शासकों के विस्तारवादी मंसूबों के विपरीत यह राज्य अपने पड़ोसियों के साथ सौहार्दपूर्ण सम्बंध कायम करेगा। यह पड़ोसी देशों के साथ सीमा, पानी और दूसरे विवादों को शान्तिपूर्ण व न्यायपूर्ण तरीके से सुलझाने का भरपूर प्रयास करेगा और उनके साथ मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध विकसित करेगा। यह राज्य पड़ोसी देशों के साथ कभी भी विस्तारवादी व्यवहार नहीं करेगा।

विभिन्न सामाजिक व्यवस्थाओं वाले देशों के साथ सम्बन्धों में यह राज्य निम्न पांच सिद्धान्तों का पालन करेगा - क्षेत्रीय अखण्डता व सम्प्रभुता का परस्पर सम्मान, परस्पर अनाक्रमण, एक-दूसरे के आन्तरिक मामलों में हस्तक्षेप न करना, बराबरी एवं परस्पर हित तथा शान्तिपूर्ण सह-अस्तित्व।

संक्षेप में यही है नव जनवादी सत्ता द्वारा पेश वैकल्पिक कार्यक्रम की रूपरेखा!

जन पक्षीय वैकल्पिक कार्यक्रमों के साथ जनता की जनवादी सत्ता स्थापित करने के लक्ष्य पर ही आज दंडकारण्य, झारखंड, बिहार, ओड़ीशा, पश्चिम बंगाल, आंध्रप्रदेश व दूसरे इलाकों में कम्युनिस्ट क्रान्तिकारियों के नेतृत्व में साम्राज्यवाद-विरोधी और सामंतवाद-विरोधी हथियारबन्द संघर्ष चल रहा है। इस संघर्ष का लक्ष्य नव जनवादी क्रान्ति पूरी कर नव जनवादी राज्य बनाना है ताकि अपने देश को मुक्त, आत्मनिर्भर व समृद्ध बनाया जा सके। इस आन्दोलन से करोड़ों भूमिहीन व गरीब किसान, खेतीहर मजदूर और मध्यम किसान जुड़ चुके हैं व अपने सपनों का भारत बनाने के लिए लड़ते हुए शहीद हो रहे हैं। शासक वर्गों की सरकार इसे किसी भी हालत में कुचल देना चाहती है। देश का मुखिया जो स्वयं अमरीका का विश्वस्त एजेंट है, और उसके सिपहसलारों ने जो अमरीका और अन्य साम्राज्यवादी ताकतों के भरोसेमंद दलाल व सेवक हैं, इस आन्दोलन को देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए सबसे बड़ा खतरा बता कर ऑपरेशन ग्रीन हंट के नाम से पिछले चार वर्षों से इस आन्दोलन को ध्वस्त करने के बुरे इरादों से एक बर्बर सैनिक अभियान चला कर रखा है। दरअसल, यह आन्दोलन जल-जंगल-जमीन व तमाम आर्थिक-राजनीतिक अधिकारों की प्राप्ति के लिए जारी जनता का आन्दोलन है। इसे ध्वस्त करने हेतु अत्याधुनिक हथियारों से लैस पांच-छह लाख अर्द्धसैनिक बलों को तैनात कर और प्रशिक्षण की आड़ में सेना की तैनाती की तैयारियां करते हुए 8-9 राज्यों के देहाती क्षेत्रों को पुलिस-मिलिटरी की छावनी

में तब्दील कर दिया गया है। और इस तरह जनता के खिलाफ एक अन्यायपूर्ण युद्ध चलाया जा रहा है। गिरफ्तारी, मानसिक व शारीरिक यातनाएं, हत्या, गुप्त हत्या, लापता, बलात्कार इत्यादि अमानवीय अत्याचार लगातार जारी हैं। न्यूनतम जनवादी अधिकारों को भी आज पुलिसिया बूटों तले रौंदा जा रहा है। पूरे तौर पर तानाशाही व्याप्त है और अघोषित आपातकाल की स्थिति जारी है। ऐसी स्थिति में, भारत की जनता इसी देश के सशस्त्र बलों से युद्ध लड़ने को मजबूर है।

जनता द्वारा चलाया जा रहा यह युद्ध न्यायपूर्ण युद्ध है। देश के संघर्षरत किसान तथा जनता न केवल अन्यायपूर्ण युद्ध का न्यायपूर्ण युद्ध के जरिए मुकाबला कर रही है बल्कि बतौर एक वैकल्पिक व्यवस्था उन्होंने नव जनवादी राजसत्ता के भ्रूण के रूप में क्रान्तिकारी जन कमिटी (आरपीसी) को बनाना शुरू कर दिया है। कुछ जगहों पर जिला स्तर तक की क्रान्तिकारी जन कमिटियां संगठित कर ली गयी हैं। भविष्य में विकासक्रम में यही सरकार भारत की क्रान्तिकारी संघीय जनवादी सरकार के रूप में विकसित होगी। इस सरकार को जनता के विभिन्न हिस्से के लोग प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष तरीके से चुनते हैं। यह चार वर्गों – मजदूर, किसान, निम्न पूंजीपति और राष्ट्रीय बुर्जुआ के संयुक्त मोर्चे की सरकार है। हालांकि शासक वर्गों की सरकार इसे कुचल देने हेतु जी-जान से लगी है, फिर भी जनता की सरकार ने अपने जनपक्षीय नीतियों को लागू करना शुरू कर दिया है।

तमाम देशभक्त, प्रगतिशील व जनवादी व्यक्तियों व समूहों का हम आह्वान करते हैं कि वे इस नये भारत के निर्माण में अपना योगदान दें, इस युद्ध में शामिल हों व नव जनवादी राज्य बनाने के लिए वर्तमान शोषणकारी, साम्राज्यवादपरस्त राजसत्ता को नकार कर इनकी प्रतिनिधि-सभाओं (संसद, विधानसभाओं और पंचायतों) के लिये होने वाले चुनावों का बहिष्कार करें। आगामी लोकसभा चुनाव का बहिष्कार करें।

क्रांतिकारी अभिनंदन के साथ,

केन्द्रीय कमिटी

भारत की कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी)

10 अक्टूबर 2013